विधान परिषद के तृतीय सत्र-2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-08 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
8(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकः- 17 मार्च, 2023 जो कि महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?	स्व0 श्री अशोक कुमार पाण्डेय, संविदा परिचालक के आश्रित श्री अम्बरीश पाण्डेय की योग्यता के अनुरूप अस्थायी चालक के रूप में नियुक्त करते हुए इनकी विधवा माता श्रीमती माया को पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान और पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध में है।
(ग) क्या मृतकों के परिजनों को उनके देयकों (पी0 एफ0, पारिवारिक पेंशन आदि) का भुगतान करा दिया गया है ?	मृतक आश्रित को ई0पी0एफ0 के मद में रू0 15,180/ एवं माह फरवरी, 2013 का वेतन रू0 2,226/- तथा दाह संस्कार हेतु रू0 5,000/- का भुगतान किया गया है। पारिवारिक पेंशन की कार्यवाही क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, वाराणसी के स्तर पर लम्बित है एवं बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेम समयानुसार एक माह के अन्दर न होने के कारण बीमा क्लेम वापस कर दिया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सम्प्रति श्री अम्बरीश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 अशोक कुमार पाण्डेय, संविदा चालक के रूप में चन्दौली डिपो में कार्यरत हैं।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ) क्या विलम्ब के कारणों सहित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।